



2026:AHC:169774

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 6341 वर्ष 2025

अवधेश कुमार तिवारी और एक अन्य

....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: अभिषेक तिवारी, रघुवंश मिश्रा

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, मनोज पाठक

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किया गया प्रत्युत्तर हलफनामा अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक तिवारी, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज पाठक और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2025 के आदेश के माध्यम से वर्तमान प्रकरण में आवेदकों- अवधेश कुमार तिवारी और ऋषि यादव को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:

"1. आवेदकों के अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री नीरज कुमार शर्मा को सुना और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन भारतीय दंड संहिता की धारा 392 , 385 , 504 , 506 के तहत प्रकरण अपराध संख्या 454 वर्ष 2024, थाना - कोतवाली नगर, जिला - बांदा में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ताओं को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने किसी भी दस्तावेज में हेराफेरी या छेड़छाड़ नहीं की है। इस स्तर पर, याचिकाकर्ताओं को अपराध से जोड़ने वाला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि विवेचना जारी है और याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी का डर है।

4. इस प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता है।

5. शिकायतकर्ता को सूचना जारी करें जिसका जवाब जल्द से जल्द देना होगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रतिपक्ष दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा और उन्हें यह समय दिया गया। यदि कोई प्रत्युत्तर हो, तो उसे इसके बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

7. अगली सुनवाई की तारीख तक या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत पुलिस सूचना प्रस्तुत किए जाने तक, जो भी पहले हो, गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक अवधेश कुमार तिवारी और ऋषि यादव को उपरोक्त प्रकरण में अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वे 50,000/- रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती संबंधित थाना के थाना प्रभारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदकों को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे और यदि उनके पास पासपोर्ट हैं, तो उन्हें संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष जमा करना होगा।

8. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विवेचना अधिकारी आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

9. विवेचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार वर्तमान प्रकरण की विवेचना शीघ्रता से पूरी करें।



10. आवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से दस दिनों के भीतर संबंधित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति

प्रस्तुत करें, जो इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।

11. इस प्रकरण को 11.9.2025 को अतिरिक्त कारण के रूप में रखें।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि वर्तमान प्रकरण आवेदकों द्वारा प्रथम शिकायतकर्ता पक्ष के विरुद्ध दर्ज किए गए एक पूर्व प्रकरण का प्रतिपक्ष है। एक सिविल विवाद को आपराधिक रंग दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत दर्ज प्राथमिकी में आवेदकों का नाम नहीं है। उक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आवेदन के शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने सह-आरोपी अतुल कुमार गुप्ता से जमीन खरीदी है और उसने संपत्ति की सीमा दिखाई है जो देवराज पाठक से प्राप्त सीमा के तीन तरफ से समान है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आवेदन में आगे यह भी कहा गया है कि आरोपी बिक्री विलेख के आधार पर संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि समान स्थिति वाले सह-आरोपी केश कुमार तिवारी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 25.02.2026 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध में अग्रिम जमानत दी गई है। अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 1938 वर्ष 2026 के तहत। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. दिनांक 07.08.2025 के आदेश के अनुसार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को इस प्रकरण में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस प्रकरण में आज तक कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है।

6. इससे पहले दिनांक 07.08.2025 के आदेश द्वारा आवेदकों को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी और उक्त आदेश के अनुसरण में, आवेदक नियमित रूप से अवर न्यायालय के समक्ष पेश हो रहे हैं, जो प्रत्युत्तर हलफनामे के अनुलग्नक संख्या आरए-2 से स्पष्ट है। इस प्रकरण में विवेचना पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। आवेदक नियमित रूप से अवर न्यायालय के समक्ष पेश हो रहे हैं, इसलिए आवेदकों से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

7. दिनांक 07.08.2025 के आदेश द्वारा आवेदकों को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को **स्थायी** घोषित किया जाता है। आवेदक दिनांक 07.08.2025 को इस न्यायालय द्वारा पारित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश में दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रहेंगे।

8. अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. दिनांक 7.8.2025 के पूर्ववर्ती आदेश में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग करने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/शिकायतकर्ता-परिवादी संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

12 अगस्त, 2026

ए.पी. पांडे